



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

बंभू महती

बनाम दीपक महती

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एग.....66...../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-15/18 दिनांक-29-4-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि रक्वा न० 337 (नोटे न० 1066 रक्वा 82 सं० भूमि को लेका उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 11-06-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> </div> <p align="center"><i>प्रीतम पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त दिनांक 29-06-18 को रखें।</i></p>	

11-06-18

क्र. सं. एवं

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं दिवसीय तारीख संकेत

5-19

अभिलेख उपस्थापित। उम्र पत्र अनुपलब्ध। उम्र पत्र जलाब दाखिल की दिनांक 10-06-19 की रहीं।

10/06/19

10-06-19

अभिलेख उपस्थापित। उम्र पत्र अनुपलब्ध। उक्त वाद में 6 (छठ) माह की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद को ललापित हो गया है। उक्त वाद में अभिलेख की कोतवरी बन्द की जाती है।

10/06/19